शासन के पत्र संख्या–5698(1)/नौ–5–2022–172सा/2019 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय 1.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी समिति की नवम् बैठक दिनांक 10.12.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरणः–

1– श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– श्रीमती नेहा शर्मा, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उ0प्र0।
3– श्री संजीव गुप्ता, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
4– श्री अखिल सिंह, सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– श्री ए0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ।
6– श्री नवीन गुप्ता, निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– डॉ0 सुनील कुमार यादव, उप निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उ0प्र0।
8– डॉ0 राजीव नारायन, उप निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ।
9– श्री कमल सिंह, महाप्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10– श्री गुरू प्रसाद पाण्डेय, सहायक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उ0प्र0।
11– श्री विकास रस्तोगी, के0पी0एम0जी0, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उ0प्र0।
12– श्री विपिन पटेल, मण्डल कार्यक्रम प्रबन्धक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उ0प्र0।

सर्वप्रथम सहायक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय द्वारा समिति के समक्ष गत बैठक दिनांक 01.11.2022 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन आख्या के विषयगत समिति को प्रगति से अवगत कराया गया।

1. **12 नगरीय निकायों यथा–नगर निगम लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, नगर पालिका परिषद गंगाघाट, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) हरदोई, लखीमपुर–खीरी, फर्रूखाबाद, चन्दौसी (सम्भल), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर), गोण्डा एवं नगर पंचायत मलिहाबाद (लखनऊ) में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के विषयगत प्रस्ताव।**
   उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदनोंपरान्त राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिस पर मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। अग्रेतर लखनऊ नगर निगम के स्वयं के अनुरोध व अन्य नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायत के टेण्डर की कार्यवाही हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0 को निर्देशित किया गया है। नगर निगम मेरठ को स्वयं टेण्डर प्रकाशन का कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये व नगर निगम प्रयागराज द्वारा अनुरोधित VGF धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की गयी।

2. **31 नवगठित नगर पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के कार्यों यथा–कूड़े के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन, मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठापन, ट्विन बिन डस्टबिन एवं प्रचार–प्रसार हेतु वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव।**
   31 नवगठित नगर पंचायतों को उपरोक्त कार्यों हेतु वित्त पोषित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर मिशन निदेशालय द्वारा पृथक–पृथक भुगतान आदेशों के माध्यम से निकायों को वित्त पोषित किया गया है।

3. **61 सीमा विस्तारित क्षेत्रों की निकायों को कूड़े के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के क्रय हेतु वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव।**

उपरोक्त 61 सीमा विस्तारित क्षेत्रों की निकायों को उक्त कार्य हेतु वित्त पोषित किये जाने के प्रस्ताव मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर मिशन निदेशालय द्वारा भुगतान आदेश के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। निकायों द्वारा क्रयदारी प्रक्रियाधीन है।

4. **05 नगरीय निकायों द्वारा कूड़े के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के क्रय हेतु प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन–**
उपरोक्त प्रस्तावों पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। नगर निगम बरेली के सम्बन्ध में अतिरिक्त धनराशि का सीमा आवंटन मिशन निदेशालय के पत्र संख्या–पी0एम0यू0/6929/427(12)/2022 दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 द्वारा कर दिया गया है।

5. **226 नगरीय निकायों में वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव।**
226 नगरीय निकायों में वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु वित्त पोषित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर निकायों से उपयुक्त भूमि की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं अग्रेतर निकायों द्वारा भूमि उपलब्धता की सूचना उपरान्त आर0सी0यू0ई0एस0 को 10 कार्यदिवसों में मानकीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार कर मिशन निदेशालय को प्रेषित किये जाने के भी निर्देश प्रदान किये गये।

समिति द्वारा उक्त अनुपालन आख्या का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् बिन्दुवार प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये।

एजेंडा नोट–1

स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय 1.0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त मिशन निदेशालय स्तर से ही अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव।

मा0 समिति के समक्ष संज्ञान में लाया जाना है कि स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय 1.0 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के प्रस्तावों पर गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मा0 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मा0 समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने के उपरान्त उन प्रस्तावों को पुनः राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिससे अनावश्यक प्रस्तावों के वित्त पोषण एवं अग्रेतर कार्यवाही किये जाने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है एवं समयावधि में कार्य पूर्ण नही हो पाते। अतः मा0 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्तावों को गतिशील बनाये जाने एवं समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु मिशन निदेशालय स्तर से ही अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मा0 समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि निकायों अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को 15 दिवसों के भीतर प्रत्येक दशा में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत कराया जाय।

एजेण्डा नोट–2

04 नगरीय निकायों यथा–नगर पालिका परिषद पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर, मंझनपुर, बेल्हा प्रतापगढ़ व शिकोहाबाद में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0 द्वारा तैयार प्राक्कलन पर अनुमोदन का प्रस्ताव।

सी0एण्डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या–240/निदे0कै सा0वे0मै0/15 दिनांक 09.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, लखनऊ के पत्र संख्या पी0एम0यू0/6129/429(15)/2019 दिनांक 15.07.2022 द्वारा 09 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्लाण्ट स्थापित किये जाने हेतु 9 निकायो यथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), मंझनपुर (कौशाम्बी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), बेल्हा प्रतापगढ (प्रतापगढ़), देवबन्द (सहारनपुर), भरवारी (कौशाम्बी), महोबा, अकबरपुर

(अम्बेडकरनगर) एवं हाटा (कुशीनगर) में निकाय द्वारा उपलब्ध भूमि करायी गयी। भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सम्मिलित आख्या के उपरान्त प्लाण्ट के अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलन विरचन के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिनमे से पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), मंझनपुर (कौशाम्बी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं बेल्हा प्रतापगढ (प्रतापगढ़) के प्राक्कलन गठित करके प्रेषित किया गया था किन्तु दिनांक 02.11.2022 को आहूत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में उक्त 4 निकायों के प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया था कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान्ट के सिविल निर्माण के साथ–साथ सूखे एवं गीले कूड़े का अलग–अलग निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से कराया जाय। तदनुसार सी0एण्डी0एस0 द्वारा उपरोक्त 4 निकायों की डी0पी0आर0 उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की गयी है, जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद	नगरीय निकाय का नाम	सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणन की लागत (जी0एस0टी0, लेबरसेस एवं सेन्टेज सहित)	आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त लागत (जी0एस0टी0, लेबरसेस एवं सेन्टेज सहित)
1	चन्दौली	पं0 दीनदयाल उपाध्याय	865.40	822.23
2	कौशाम्बी	मंझनपुर (न0पा0परि0)	848.38	807.29
3	प्रतापगढ़	बेला प्रतापगढ़ (न0पा0परि0)	1029.07	828.67
4	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद(न0पा0परि0)	1053.59	869.10
कुल योग			**3796.44**	**3327.29**

अतः उपरोक्त निकायों यथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), मंझनपुर, (कौशाम्बी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं बेल्हा प्रतापगढ (प्रतापगढ़) में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अधिष्ठापन हेतु सिविल कार्यो के लिये गठित प्राक्कलन आर0सी0यू0ई0एस0 से परीक्षणोपरान्त कुल लागत **रू0 3327.29 लाख (जी0एस0टी0, लेबरसेस एवं सेन्टेज सहित)** अनुमोदन हेतु प्रस्तावों पर समिति के समक्ष विचार/निर्णय हेतु निवेदित है।

मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान की गयी एवं अग्रेतर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये व भूमि उपलब्धता के विषयगत मा0 मुख्य सचिव महोदय के समक्ष जिलाधिकारियों से संवाद किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

एजेण्डा नोट–3

6 नगरीय निकायों यथा–नगर निगम गाजियाबाद, अलीगढ़, अयोध्या व नगर पालिका परिषद जौनपुर, सुलतानपुर व दादरी में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के विषयगत प्रस्ताव।

लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु उपरोक्त निकायों द्वारा थर्ड पार्टी सर्वे के आधार पर डी0पी0आर0 तैयार कर प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों के पुनरीक्षण (Vetting) का कार्य रिसोर्स सेन्टर आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ द्वारा किया गया है। प्राप्त डी0पी0आर0 एवं वेटिंग उपरान्त अनुमानित लागत का विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	निकाय का नाम	लिगेसी वेस्ट की मात्रा (टन में)	डी0पी0आर0 की अनुमानित लागत धनराशि (रू0 में)	आर0सी0यू0ई0एस0 द्वारा वेटिंग उपरान्त लागत धनराशि (रू0 में)
1	नगर निगम गाजियाबाद	269000	9,11,00,000.00	13,41,28,013.00
2	नगर निगम अलीगढ़	447912	20,48,55,186.00	20,48,55,186.00
3	नगर निगम अयोध्या	51700	2,29,54,804.44	2,68,83,755.00

4	नगर पालिका परिषद जौनपुर	74869	4,30,44,088.00	4,30,44,088.00
5	नगर पालिका परिषद सुलतानपुर	51237	2,68,68,025	2,68,68,444.00
6	नगर पालिका परिषद दादरी	75000	69,01,000.00	1,52,13,073.00
कुल योग		**969718**	**39,57,23,103.44**	**45,09,92,559.00**

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया।

मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गयी कि लिगेसी वेस्ट की मात्रा का आगणन सेटेलाइट इमेजनरी, कन्टूर सर्वे एवं वेइंग मे से, जो भी कम हो, के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये एवं आर0एफ0पी0 में निहित सभी शर्तों का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित हो।

अतिरिक्त निर्देशः–

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लिगेसी वेस्ट के निस्तारण स्थल पर कैमरा लगाकर प्रतिदिन निरीक्षण का कार्य किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि निस्तारण स्थल से उत्पन्न हुये आर0डी0एफ0 एवं वेस्ट को किसी दूसरे डम्प साइट पर न फेंका जाय व सम्पूर्ण लिगेसी के निस्तारण उपरान्त स्थल को साइन बोर्ड के माध्यम से वेस्ट फ्री जोन घोषित कर उसकी तार फैसिंग कर भूमि को सुरक्षित किया जाय एवं निस्तारित स्थल के प्रचार प्रसार का भी कार्य कराया जाय।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(नेहा शर्मा)
राज्य मिशन निदेशक

राज्य मिशन निदेशालय
स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय
पत्र संख्या–पी0एम0यू0/ 7357 /547/2022 दिनांक 10 जनवरी 2023
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग–5), उ0प्र0 शासन।
2– संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4– संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
6– निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8– वित्त नियन्त्रक, सूडा, अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय।
9– सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10– संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
11– गार्ड फाइल।

(नेहा शर्मा)
राज्य मिशन निदेशक